न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 74/2025

1. पदमाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड सं0 10 तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. बिरमादेवी पत्नी मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. विजयपाल पुत्र मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

......प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 04.02.26

यह वादपत्र वादी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि चक 4 केजेडी खाजूवाला मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 6.1960 हैक्टर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा बनता है। वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के बीच मौखिक वाहमी बंटवारा हो चुका है। वादी मौखिक बंटवारे अनुसार चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 में 0.2529 है0, 9 में 0.0885 है0, 10 ता 12 सालम, 19 ता 20 सालम, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0 कुल तादादी 2.0611 हैक्टर कमाण्ड भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का कब्जा काश्त चले आ रहे है तथा इसी अनुसार विधिक रू‍प से वादी बंटवारा करवाना चाहता है। दिनांक 28.05.26 को वादी ने प्रतिवादी सं0 1 ता से अपनी भूमि को विधिक रूप से बंटवारा करवारकर राजस्व रिकॉर्ड अलग—अलग अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने स्पष्ट मना कर दिया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 6.1960 हैक्टर में से किला नं0 1 में 0.2529 है0, 9 में 0.0885 है0, 10 ता 12 सालम, 19 ता 20 सालम, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0 कुल तादादी 2.0611 हैक्टर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का कब्जा काश्त चले आ रहे हैं तथा इसी अनुसार विधिक रूप से वादी बंटवारा करवाना चाहता है। इसी अनुसार खाता विभाजन की डिक्री जारी कर प्रतिवादी सं0 4 को आदेश करें कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम से अलग—अलग दर्ज कर तथा उसी अनुसार खाता तकसीम कर लगान कायम करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस/समन तलबी करवाई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादी सं0 1 ता 3 गैरहाजिर रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवला से रिपोर्ट/प्रस्ताव पत्रांक/तखा/भूअ/26/348 दिनांक 04.02.26 प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार पदमाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड सं0 10 खाजूवाला के हिस्सा 1/3 चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 में 0.2529 है0, 9 में 0. 0885 है0, 10 ता 12 सालम, 19 ता 20 सालम, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0 कुल तादादी 2.0611 हैक्टर कमाण्ड तथा कृष्णलाल, विजयपाल पुत्र मंगतूराम, बिरमादेवी पत्नी मंगतूराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी खाजूवाला के हिस्सा 2/3 चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 2 ता 8 सालम, 9 में 0.1644 है0, 13 ता 18 सालम, 23/1 में 0.2276 है0, 24/2 में 0. 2276 है0, 25/1 में 0.2276 कुल तादादी 4.1349 हैक्टर का प्रस्ताव बनाया गया है। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

अदालत द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो पर अध्ययन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीया के वाद वादपत्र के कथनों की पुष्टि तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट दिनांक 04.02.26 से हो रही है। मुरब्बे के किला की पांचों लाईन में नक्शे अनुसार सड़क लगती है और वादगत भूमि पूरी कमाण्ड है इसलिए बाई मिटस एण्ड बाई बाउन्डस अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार वादपत्र स्वीकार के काबिल पाया जाता है।

अतः वादी का वाद वादपत्र के कथनों व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 ता 25 की तादादी 6.1960 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में से पदमाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड सं0 10 खाजूवाला के हिस्सा 1/3 चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 में 0.2529 है0, 9 में 0.0885 है0, 10 ता 12 सालम, 19 ता 20 सालम, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0 कुल तादादी 2.0611 हैक्टर तथा कृष्णलाल, विजयपाल पुत्र मंगतूराम, बिरमादेवी पत्नी मंगतूराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी खाजूवाला के हिस्सा 2/3 चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 2 ता 8 सालम, 9 में 0.1644 है0, 13 ता 18 सालम, 23/1 में 0.2276 है0, 24/2 में 0. 2276 है0, 25/1 में 0.2276 कुल तादादी 4.1349 हैक्टर कमाण्ड अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारा के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)